



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092024-257192  
CG-DL-E-14092024-257192

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3609]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

No. 3609]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2024

सं. 28/2024-25

विषय: प्याज की निर्यात नीतिगत शर्तों में संशोधन।

का.आ. 3947(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धार 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा, पूर्व की अधिसूचना संख्या 10/2024-25 दिनांक 4 मई 2024 को संशोधित करते हुए, आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 07 में प्याज की निर्यात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार निम्नलिखित संशोधन करती है।

प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07031019	प्याज	मुक्त	निर्यात 550 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (एमटी) के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन है।	--

2. अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव: प्याज (एचएस कोड 07031019 के तहत) के निर्यात पर 550 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (एमटी) का वर्तमान न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक हटा दिया गया है।

[फा. सं. 01/91/191/060/एम-24/ईसी/ई-38291]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th September, 2024

**No. 28 /2024-25**

**Subject: - Amendment in Export policy Conditions of Onions –reg.**

**S.O. 3947(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended time to time, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, the Central Government hereby, in amendment of the earlier Notification No. 10/2024-25 dt. 4<sup>th</sup> May 2024, makes the following changes in Export Policy conditions of Onions in Chapter 07 of Schedule-II (Export Policy) of ITC(HS) as under:-

ITC(HS) Code	Description	Export Policy	Existing Policy condition	Revised Policy Condition
07031019	Onions: ---- Other	Free	Export is subject to a Minimum Export Price (MEP) of USD 550 per Metric Ton (MT)	-

2. The Notification will come into immediate effect.

**Effect of this Notification:** The Minimum Export Price (MEP) condition on Export of Onions is removed with immediate effect and until further orders.

[F. No. 01/91/191/060/AM-24/EC/e-38291]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.